न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 18/2015 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2015/00036

अनवान

1. श्री नारायण पिता जीवा जी मीणा, निवासी–खाण्डीओवरी, कालाखेत, तह. खेरवाडा, उदयपुर
2. श्री थावरा पिता जीवा जी मीणा, निवासी–खाण्डीओवरी, कालाखेत, तह. खेरवाडा, उदयपुर
3. श्री हकरा पिता जीवा जी मीणा, निवासी–खाण्डीओवरी, कालाखेत, तह. खेरवाडा, उदयपुर
4. श्री दिनेश पिता जीवा मीणा, निवासी–खाण्डीओवरी, कालाखेत, तह. खेरवाडा, उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री सवा पिता कमला जी भील, निवासी कागदर फला रतनपुर, तह. ऋषभदेव, उदयपुर
2. श्रीमती सोकली पत्नि विरेन्द्र मीणा, निवासी कागदर फला रतनपुर, तह. ऋषभदेव, उदयपुर
3. श्रीमती देवली पत्नि अमरचन्द मीणा, निवासी कागदर फला रतनपुर, तह. ऋषभदेव, उदयपुर
4. श्रीमती बसन्ती पत्नि अमरचन्द मीणा, निवासी कागदर फला रतनपुर, तह. ऋषभदेव, उदयपुर
5. श्रीमती संगीता पत्नि जालमसिंह मीणा, निवासी कागदर फला रतनपुर, तह. ऋषभदेव, उदयपुर
6. श्रीमती वाली पत्नि त्रिलोक मीणा, निवासी कागदर फला रतनपुर, तह. ऋषभदेव, उदयपुर

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता, विपक्षीगण।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 26-02-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम काला खेत पटवार हल्का खाण्डी ओवरी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर में साबिक आराजी संख्या 2826 रकबा 3 बीघा का नामान्तरकरण होने के बाद आराजी संख्या 2939/2826 रकबा 3 बीघा

जिसके हाल आराजी संख्या 3669 रकबा 0.6500 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थीगण का मकान बना होकर परिवार संहित निवास कर रहे है। उक्त भूमि का विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 31.05.1967 को आवंटन कर दिया गया है। आवंटन के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 का मौके पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। कथित आवंटन से पूर्व न उद्दघोषणा जारी की गयी एवं न ही उक्त आवंटन पर कोरम में सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद है, न ही आवंटन के नियम 4, 7, 11, 13–ए की पालना की गयी है। उक्त आवंटन मात्र तहसीलदार द्वारा कर दिया गया है। उक्त कथित भूमि अनओक्यूपाईड भूमि नही थी। आवंटन उपरान्त विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गयी है। उक्त आवंटन पूर्णतया विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना मिथ्या एवं मिसरिप्रजेन्टेशन से कराये जाने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीगण का आवंटन निरस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किये गये उक्त आवंटन को खारिज किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता ने वकालात पत्र प्रस्तुत कर मामले में जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थीगण अथवा उनके पूर्वाधिकारियों का विवादित आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा ही उक्त भूमि कों आवंटन उपरान्त कृषि योग्य बनाया गया है एवं गैर खातेदारी हक से आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पूर्णतया पालना करने से वर्ष 1976 में रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है एवं उक्त भूमि पर मकान बनाया गया है तथा दिनांक 30.07.2015 को विपक्षी संख्या 2 से 6 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया है एवं वर्तमान मे भी विपक्षी संख्या 2 से 6 उक्त भूमि पर काबिज हैं। विपक्षी संख्या 1 को आवंटन पूर्णतया विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया हैं। प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज अन्य ग्राम के निवासी हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा भारी लागत लगाकर उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाया है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के खातेदारी भूमि मे हस्तक्षेप करने पर विपक्षीगण द्वारा एक वाद प्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी खेरवाड़ा मे बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा मय धारा 212 रा.टी.एक्ट का प्रस्तुत किया गया, जो लम्बित हो यथा स्थिति के आदेश प्रभावी हैं। उक्त आदेश हो जाने एवं दिनांक 16.07.2015 को प्रार्थीगण द्वारा विवाद करने पर विपक्षीगण ने आवेदन कर पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी करा देने पर प्रार्थीगण द्वारा यह मिथ्या आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र आवंटन के लगभग 48 वर्ष पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो मयाद बाहर है एवं प्रार्थीगण द्वारा मयादमाफी हेतु कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया है। विपक्षीगण रेकर्डेड खातेदार है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना उपरान्त ही देय होते है। ऐसी स्थिति में किसी भी घोषणा के लिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ही सक्षम है। उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य न होने से निरस्त किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर से विवादित आराजी पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि के संबंध मे मौका जांच रिपोर्ट तलब की गईं। तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1662 दिनांक 26.12.2017 से अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम कालाखेत की आराजी संख्या 3669 रकबा 0.65000 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड मे सवा पिता काला के स्थान पर सोकली पत्नि वीरेन्द्र, देवली पत्नि अमरचंद, असन्ति पत्नि रतनसिंह, संगीता पत्नि जालमसिंह एवं वाली पत्नि त्रिलोक मीणा हि.ब. के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। उक्त आराजी के 0.0100 हेक्टेयर भूमि पर प्रार्थी श्री नारायण पिता जीवा मीणा द्वारा कच्चा मकान बना रखा हैं। खसरा गिरदावरी अनुसार उडद आदि फसल की काश्त विपक्षीगण द्वारा की गई है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवंटन वर्ष 1970 से पूर्व का होने से तहसीलदार से आवंटन से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1042 दिनांक 16.12.2019 द्वारा उक्त आवंटन पत्रावली तलाश करने पर भी उपलब्ध न होने से उक्त आवंटन से संबंधित दस्तावेज एवं नामान्तरकरण की प्रतियां इस कार्यालय को प्रस्तुत की। मामले मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करने हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौके पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होना, आवंटन से पूर्व प्रोक्लेमेशन जारी न होना, ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाई की सुची तैयार न होना, आवंटन नियमों की पालना न होना आदि आधारो पर उक्त आवंटन को खारिज करने की मांग की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

- आर.बी.जे. (5) 1998 पृष्ठ 554
- आर.बी.जे. (14) 2007 पृष्ठ 492
- आर.आर.डी. 2002 पृष्ठ 1
- आर.आर.डी. 1990 पृष्ठ 465
- आर.आर.डी. 2009 (1) पृष्ठ 113
- आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ 497
- आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ 237
- आर.आर.डी. 2005 पृष्ठ 629
- आर.आर.टी. 2005 (1) पृष्ठ 83
- आर.आर.टी. 2001 (2) पृष्ठ 1358
- आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ 764

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये विपक्षी संख्या 1 को विधि अनुसार आवंटन होना, आवंटन पश्चात् भूमि काश्त योग्य बनाना,

एवं विपक्षीगण का रेकर्डेड खातेदार हो जाना, भूमि का विक्रय कर दिया जाना, आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन न होना, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होना, तहसीलदार को पक्षकार न बनाना आदि आधारों पर विपक्षी के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखे जाने एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने बाबत् निवेदन किया एवं अनुरोध किया कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही मेन्टेनेबल नही है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षीगण के के जवाब, मौका रिपोर्ट, न्यायिक दृष्टांत आदि का आवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उक्त आवंटन वर्ष 1970 के पूर्व का होने से तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा वर्ष 1967 विपक्षी संख्या 1 को किया गया है एवं उसके द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय विपक्षी संख्या 2 से 6 को कर दिया है एवं खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14 (4) की कार्यवाही की जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजीयात पर उनका कब्जा आवंटन से पूर्व का होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु इसकी पुष्टि स्वरूप धारा 91 के नोटिस इत्यादि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नही किये गये है। यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होता, तो उन पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी विपक्षी संख्या 2 से 6 का कब्जा काश्त होना अवगत कराया है एवं उक्त आराजी के 0.0100 हेक्टेयर भूमि पर प्रार्थी श्री नारायण पिता जीवा मीणा का मकान होने का उल्लेख किया है, किन्तु यह स्पष्ट है कि उक्त मकान विपक्षी को किये गये आवंटन से पूर्व बनाया गया हो, स्पष्ट नही है एवं न ही इसका उल्लेख आवंटन में है। विपक्षी संख्या 2 से 6 उक्त भूमि के वर्तमान में रेकर्डेड खातेदार है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना करने पर ही दिये जाते है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। कथित आवंटन वर्ष 1967 में किया गया है, जिसे निरस्त कराने के लिये प्रार्थीगण द्वारा लगभग 48 वर्ष उपरान्त आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया है एवं न ही विलम्ब का कोई समुचित कारण बताया है। आवंटन में किसी प्रकार का मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं होने से किसी खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है। उपरोक्त समग्र तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा निचलाफला हाल गांव काला खेत, तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर की साबिक आराजी संख्या 2826 पर

विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थीगण यदि चाहे तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.03.02 12:11:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: